GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

IAS GS WORLD PCS
Committed To Excellence
ISO 9001 Certified

16 - 28 Feb., 2019

PIB

PICTURE

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

भारत-अर्जेंटीना व्यापार मंच

PIB, (18 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री – सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और नागर विमानन मंत्री, श्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में भारत-अर्जेंटीना व्यापार मंच को संबोधित किया।
- श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत अर्जेंटीना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का इच्छुक है।
- यह लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है।
- दोनों देश उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करके द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मौजूदा स्तर से उच्च स्तर पर ले जाने की जरूरत को मान्यता देते हैं।

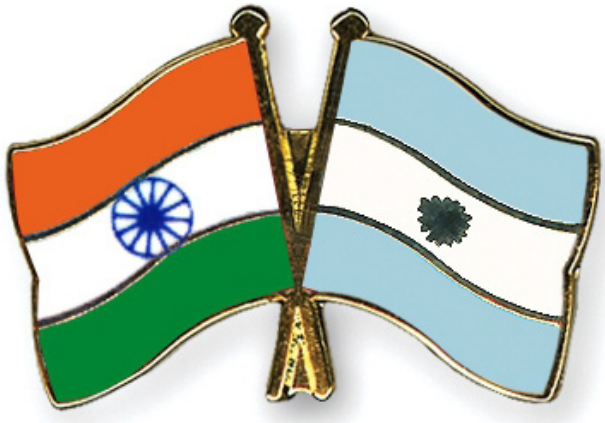

मुख्य बिंदु

- भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने प्रयासों में अर्जेंटीना के साथ साझेदारी करना चाहता है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 12 सेक्टरों की पहचान की है ताकि सेवा क्षेत्र का योगदान 3 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा सके।
- अर्जेंटीना कृषि के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है और भारत फसल कटाई से पहले और बाद के नुकसान को कम करने में अर्जेंटीना की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है।
- भारत और अर्जेंटीना कृषि पर जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए मिल-जुलकर काम कर सकते हैं।

स्त्री सुरक्षा के लिए तीन बड़ी पहलें

PIB, (18 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
संबंधित मंत्री – मेनका गाँधी

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्त्री सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, SCIM पोर्टल (सेफ सिटी प्रोजेक्ट), राज्यों में DNA विश्लेषण की सुविधाएँ जैसी तीन बड़ी पहलों की शुरुआत की है।
- **पैनिक बटन :-** संकट के समय कोई भी स्त्री इस बटन का उपयोग कर सकती है। इसके लिए उसे ये कदम उठाने होंगे-
- यदि स्मार्ट फोन है तो पॉवर बटन को तीन बार तेजी से दबाना होगा। किसी भी फोन से 112 पर कॉल करना।
- यदि फीचर फोन है, तो 5 और 9 अंकों को देर तक दबाना। 112 इंडिया मोबाइल ऐप का प्रयोग करना।

- **SCIM पोर्टल (सेफ सिटी प्रोजेक्ट) :-** यह योजना आठ शहरों में चलाई जा रही है। प्रत्येक शहर में ऐसे स्थलों का पता लगाना जो संवेदनशील हैं। ऐसे स्थलों पर CCTV लगाना। अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में स्वचालित नम्बर प्लेट पढ़ने की मशीन लगाना। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के बाहर जो संकटग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ भारी गश्ती करना। सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था सुधारना। स्त्रियों के लिए सार्वजनिक शौचालय की सुविधा बढ़ाना। थाने में महिला सहायता डेस्क स्थापित करना।

राज्यों में DNA विश्लेषण की सुविधाएँ

- यौन अपराधों के निपटारे में होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए समय DNA नमूनों की जाँच आवश्यक हो जाती है।
- अभी DNA विश्लेषण की सुविधा कुछ ही शहरों में है। अब इसके लिए नई प्रयोगशालाएँ चेन्नई, मदुरै, आगरा, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में बनाई जाएँगी।

भारत और मोरक्को के मध्य समझौता

PIB, (19 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – विदेश मंत्रालय
संबंधित मंत्री – सुषमा स्वराज

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजनेस वीजा जारी करने की प्रक्रियाओं की पारस्परिक सुविधाओं के बारे में भारत और मोरक्को के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) को कार्योत्तर मंजूरी दे दी।

उद्देश्य

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यापारिक सौदा करने, औद्योगिक/व्यापार परियोजना स्थापित करने, औद्योगिक उत्पाद बेचने/खरीदने या इन गतिविधियों से संबंधित अन्य व्यापार/निवेश स्थापित करने के लिए एक-दूसरे के देश में यात्रा करने के इच्छुक दोनों देशों के नागरिकों के लिए बहुविध प्रवेश बिजनेस वीजा जारी करने में मदद करना है।

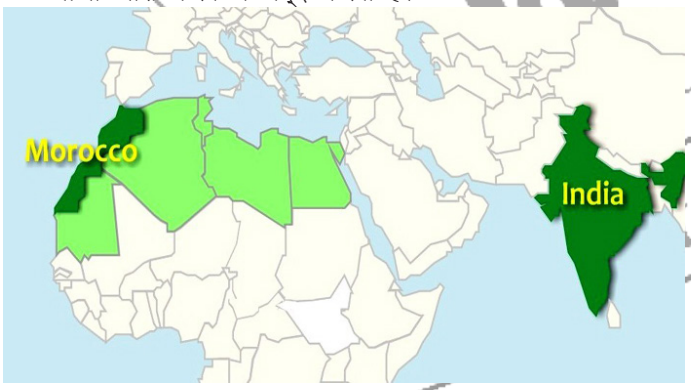

लाभ

- ऐसे वीजा सामान्य रूप से नियमित मामलों में 7 दिनों की निर्दिष्ट समय-सीमा में 12 महीनों की अवधि के लिए जारी करने की जरूरत होती है।
- ऐसे मामलों में जहाँ आगे जाँच की जरूरत होती है वहाँ दोनों पक्ष आवेदक को तदनुसार सूचित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019

PIB, (19 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री रवि शंकर प्रसाद

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई 2019) को अपनी स्वीकृति दे दी है।

उद्देश्य

- इस नीति में चिपसेटों सहित महत्त्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमताओं को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बना कर भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम)' के एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

मुख्य बिंदु

- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा।
- ईएसडीएम की समूची मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 (एनपीई 2012) के तत्वाधान में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से एक प्रतिस्पर्धी भारतीय ईएसडीएम वैल्यू चेन से जुड़ी नींव सफलतापूर्वक मजबूत हो गई है।
- एनपीई 2019 में इस नींव को और मजबूत करने का प्रस्ताव

किया गया है, ताकि देश में ईएसडीएम उद्योग के विकास की गति तेज की जा सके।

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई 2019) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2012 (एनपीई 2012) का स्थान लिया है।

कार्यान्वयन

- **रणनीति एवं लक्ष्य कार्यान्वयन रणनीति:** इस नीति से इसमें परिकल्पित रोडमैप के अनुसार ही देश में ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए अनेक योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं एवं उपायों को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

लक्ष्य

- वर्ष 2025 तक 400 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 26,00,000 करोड़ रुपये) का कारोबार हासिल करने हेतु आर्थिक विकास के लिए ईएसडीएम की समूची वैल्यू चेन में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना।

प्रभाव

- एनपीई 2019 को कार्यान्वित करने पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से देश में ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए अनेक योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं इत्यादि को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- इससे भारत में निवेश एवं प्रौद्योगिकी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे देश में ही निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के ज्यादा मूल्य वर्धन और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनके निर्यात का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
- इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

कंपनी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019

PIB, (19 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

संबंधित मंत्री – अरुण जेटली और सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कंपनी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने तथा संसद में इस अध्यादेश के स्थान पर प्रतिस्थापन विधेयक लाने की मंजूरी दे दी है।
- यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने वाली समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित कॉरपोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के महत्त्वपूर्ण अंतरों/कमियों को समाप्त किया जा सके और कानून का पालन करने वाले उद्यमों को व्यापार में आसानी की सुविधा प्रदान की जा सके।
- इससे कानून का पालन करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उल्लंघन करने वालों को गंभीर सजा भुगतनी होगी।

मुख्य बिंदु

- कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (जिसे बाद में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 का नाम दिया गया) को 20 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- 4 जनवरी, 2019 को लोकसभा ने इस पर विचार किया और इसे पारित किया। विधेयक को राज्य सभा में भेजा गया परंतु शीतकालीन सत्र या बजट सत्र के दौरान ऊपरी सदन में इस पर विचार नहीं हो सका और यह पारित भी नहीं हुआ।
- कुल 29 धाराओं का संशोधन हुआ और पूर्व अध्यादेश के द्वारा दो नई धाराएं जोड़ी गईं, जिसे 2 नवंबर, 2018 (2018 का अध्यादेश 9) तथा 12 जनवरी, 2019 (2019 का अध्यादेश 3) को अधिसूचित किया गया।
- संशोधनों में तकनीकी तथा प्रक्रिया संबंधी छोटी गलतियों के लिए सिविल सजा का प्रावधान है। इससे कॉरपोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के अंतर्गत बहुत सारे मामलों की कमियों को दूर किया जाएगा। जैसे :-
- 16 छोटे अपराधों की पुनर्सूची बनाना और इसे पूरी तरह सिविल अपराध की श्रेणी में रखना। इससे विशेष न्यायालयों के मामलों की संख्या में कमी आएगी।
- एनसीएलटी के कुछ रोजमर्रा कार्याकलापों को केन्द्र सरकार को स्थानांतरित करना। जैसे- वित्त वर्ष में बदलाव के लिए आवेदन और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निजी कंपनी में बदलना।
- पंजीकृत कार्यालय को संचालित नहीं कर पाने और व्यापार की रिपोर्टिंग नहीं कर पाने जैसी स्थितियों में उनके नाम कंपनी रजिस्टर से हटा दिए जाएंगे।
- आर्थिक दण्ड लगाने तथा इसे संशोधित करने के लिए कड़े प्रावधानों के साथ निश्चित अवधि को संक्षिप्त करना।

- निदेशक की अधिकतम सीमा के उल्लंघन को अयोग्यता का आधार बनाना।

लाभ

- इन संशोधनों से कॉरपोरेट जगत को कानूनों के अनुपालन में आसानी होगी, विशेष न्यायालयों में मामलों की संख्या में कमी आएगी, एनसीएलटी पर कार्य का बोझ कम होगा और इसका उचित क्रियान्वयन होगा।
- वर्तमान में कुल 40,000 लंबित मामलों का 60 प्रतिशत प्रक्रियागत त्रुटियों पर आधारित है। इन्हें विभाग की आंतरिक व्यवस्था में स्थानांतरित किया जाएगा और उद्यमों को कानून अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इन संशोधनों के माध्यम से एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी।
- विशेष न्यायालयों से मामलों को वापस ले लिया जाएगा। इसके लिए आम माफी की योजना लाई जाएगी।
- प्रक्रिया से जुड़े अपराधों को आपराधिक मुकदमे के स्थान पर सिविल दायित्व की श्रेणी में रखा जाएगा।

अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक नई कंपनी

PIB, (19 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – अंतरिक्ष विभाग
संबंधित मंत्री – ए.एस. किरण कुमार

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक नई कंपनी की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाईयों द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास कार्य का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

सत्यमेव जयते

इसरो isro

प्रमुख विशेषताएं

- उद्योग के लिए लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, जिसमें नई कंपनी अंतरिक्ष विभाग/ इसरो से लाइसेंस तथा उद्योगों के लिए उप-लाइसेंस प्राप्त करेगी।
- निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV) का निर्माण करना।
- उद्योग के माध्यम से पोलर एसएलवी का उत्पादन करना।
- प्रक्षेपण तथा इस्तेमाल सहित अंतरिक्ष आधारित उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन तथा विपणन।
- इसरो केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाईयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना।

महत्त्व

- कैबिनेट के इस फैसले से निश्चित रूप से निजी क्षेत्र को लांचरों और उपग्रहों के उत्पादन में अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
- इसरो उपग्रह प्रक्षेपकों के निर्माण में निजी क्षेत्र से सहायता प्राप्त कर रहा है ताकि वह अनुसंधान एवं विकास कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके।

डीएनसीएस के लिए बोर्ड का गठन

PIB, (19 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री थावरचंद गहलोत

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों (डीएनसीएस) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

आवश्यकता क्यों?

- विमुक्त घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदाय (डीएनसी) देश के सबसे अधिक वंचित समुदाय हैं। इन समुदायों तक पहुंच बनाना मुश्किल है, ये ज्यादा दिखाई नहीं देते और इसलिए अक्सर छूट जाते हैं।

- इसलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, जो विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के (डीएनसीएस) लोगों की पहचान की प्रक्रिया को पूरा करेगी, जिन्हें अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के (डीएनसीएस) लोगों की राज्य-वार सूची को तैयार करने तथा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के बारे में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जा सकने वाले उचित उपाय सुझाने के लिए सरकार ने जुलाई 2014 में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था।
- आयोग ने इन समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी।

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन दूसरा अध्यादेश, 2019

PIB, (19 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री जगत प्रकाश नड्डा

संदर्भ

- हाल ही में मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
- भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को अधिसूचित करना
- उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में लंबित भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 में आवश्यक संशोधन करना।

लाभ

- प्रस्ताव से पूर्व अध्यादेश के तहत इंडियन मेडिकल कॉउंसिल (एमसीआई) में नियुक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी), एमसीआई तथा भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956 की धारा 10ए अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग जारी रखेंगे ताकि देश की चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूर्व अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किये गये कार्य को मान्यता प्राप्त है तथा यह आगे भी जारी रहेगी।

विविध 2019 का उद्घाटन

PIB, (20 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री रवि शंकर प्रसाद

संदर्भ

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा 21 एवं 22 फरवरी, 2019 को जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) की बैठक आयोजित की गयी जिसकी थीम 'विविध –विजन इनसाइट एंड वॉयसेज एज इंडिया गोज डिजिटल' है।
- इस बैठक का आयोजन डीआईओ के साथ संवाद करने और उनके अनुभवों एवं योगदान को साझा करने की पहल के रूप में किया गया है।
- दरअसल, इन्हें राज्यों में जमीनी स्तर पर डिजिटल बदलाव लाने वालों के रूप में माना जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एनआईसी टेकगव पुरस्कार और स्वच्छता पुरस्कार प्रदान करने के साथ इस आयोजन का शुभारंभ किया गया।
- श्री रविशंकर प्रसाद इस अवसर पर निम्नलिखित अन्य पहलों का भी शुभारंभ/विमोचन किया :-

- डिजिटल इंडिया से जुड़े संग्रह का विमोचन करेंगे।
- 'डिजिधन मित्र चौटबॉट' को लांच करेंगे।

- प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास 2.0 स्कीम का शुभारंभ करेंगे।
- निम्नलिखित चीजों पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ करेंगे:
- आईओटी ओपन लैब, एसटीपीआई बेंगलुरू
- ईएसडीएम इन्क्यूबेशन, एसटीपीआई भुवनेश्वर
- उभरती प्रौद्योगिकियां, नैस्कॉम गांधीनगर
- उभरती प्रौद्योगिकियां, नैस्कॉम विशाखापत्तनम
- 'विविध' का शुभारंभ वर्ष 2017 में एक वार्षिक आयोजन के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनआईसी के अधिकारियों का सशक्तिकरण करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना

PIB, (20 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से ऋण सहायता (आईबीआरडी क्रेडिट) के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत "राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना" नामक एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

लाभ

- एनआरईटीपी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराये जाने वाले उच्च स्तरीय उपायों से आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी तथा डिजिटल वित्त एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्य विशेषताएँ

- डीएवाई-एनआरएलएम निर्धनों में से सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को लक्षित करने एवं उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देता है।
- एनआरईटीपी के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, ग्रामीण उत्पादों के आस-पास मूल्य श्रृंखला सृजित करने, आजीविका संवर्धन में नवोन्मेषी मॉडलों को प्रस्तुत करने एवं डिजिटल वित्त की सुविधा एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।
- डीएवाई-एनआरएलएम पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के बीच परामर्श के लिए आपसी रूप से लाभदायक कामकाजी संबंध और औपचारिक मंच उपलब्ध कराता है।
- एनआरएलएम ने युक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ एनआरएलएम संस्थान और पीआरआई एक साथ मिल कर काम करेंगे, परस्पर समन्वय को सुगम बनाने के लिए गतिविधि मानचित्र भी विकसित किया है जिसे सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को प्रसारित कर दिया गया है।

रूफटॉप सोलर कार्यक्रम

PIB, (20 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय

संबंधित मंत्री – अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है।

क्या है?

- इस कार्यक्रम को 11,814 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
- कार्यक्रम के दूसरे चरण में आवासीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का पुनर्गठन किया गया है।
- इसके तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 40 प्रतिशत सीएफए और 3 किलोवाट से ज्यादा एवं 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 20 प्रतिशत सीएफए उपलब्ध कराई जाएगी।
- ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/

आरएडब्ल्यू) के मामले में साझा सुविधाओं को विद्युत आपूर्ति हेतु आरटीएस संयंत्रों के लिए सीएफए को 20 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

- हालाँकि, जीएचएस/आरएडब्ल्यू के लिए सीएफए हेतु मान्य क्षमता प्रति मकान 10 किलोवाट तक ही सीमित होगी।
- इसके अंतर्गत अधिकतम कुल क्षमता 500 केडब्ल्यूपी तक होगी, जिसमें जीएचएस/आरएडब्ल्यू के अंतर्गत व्यक्तिगत मकानों में लगाए गए आरटीएस की क्षमता भी शामिल होगी।
- आवासीय श्रेणी के तहत सीएफए 4000 मेगावाट की क्षमता के लिए मुहैया कराई जाएगी और यह मानक (बेंचमार्क) लागत या निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- केन्द्रीय वित्तीय सहायता अन्य श्रेणियों यथा संस्थागत, शैक्षणिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की ज्यादा सहभागिता पर फोकस किया जाएगा।

लाभ

- इस कार्यक्रम का कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में बचत की दृष्टि से व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा।
- प्रति मेगावाट 1.5 मिलियन यूनिटों के औसत ऊर्जा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2022 तक कार्यक्रम के चरण-2 के तहत 38 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना से प्रति वर्ष कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 45.6 टन की कमी होगी।
- इस कार्यक्रम के द्वारा स्व-रोजगार को बढ़ावा मिलने के अलावा वर्ष 2022 तक योजना के चरण-2 के अंतर्गत 38 जीडब्ल्यू की क्षमता वृद्धि हेतु कुशल एवं अकुशल कामगारों के लिए 9.39 लाख रोजगारों के समतुल्य रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।

कुसुम योजना

PIB, (21 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) का शुभारंभ करने की मंजूरी दे दी।

इसके तीन घटक हैं-

- इस योजना के अनुसार बंजर भूमियों पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली में से अधिशेष अंश को किसान ग्रिडों को आपूर्ति कर सकेंगे जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
- इसके लिए, बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को किसानों से पाँच वर्षों तक बिजली खरीदने के लिए 50 पैसे प्रति इकाई की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- सरकार किसानों को खेतों के लिए 5 लाख ऑफ-ग्रिड (ग्रिड रहित) सौर पम्प खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. केंद्र और राज्य प्रत्येक सौर पम्प पर 30% सब्सिडी प्रदान करेंगे।
- अन्य 30% ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा, जबकि 10% लागत किसान द्वारा वहन की जायेगी।

- 7,250 MW क्षमता के ग्रिड से सम्बद्ध (ग्रिड-कनेक्टेड) खेतों के पम्पों का सौरकरण (Solarisation) किया जाएगा।
- सरकारी विभागों के ग्रिड से सम्बद्ध जल पम्पों का सौरकरण किया जाएगा।

अपेक्षित लाभ

- यह कृषि क्षेत्र को डीजल-रहित बनाने में सहायता करेगी। यह क्षेत्रक लगभग 10 लाख डीजल चालित पम्पों का उपयोग करता है।
- यह कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का बोझ कम कर DISCOMs की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सहायता करेगी।
- विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ऑफ-ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड, दोनों प्रकार के सौर जल पम्पों द्वारा सुनिश्चित जल स्रोतों के प्रावधान के माध्यम से किसानों को जल-सुरक्षा प्रदान करना।

- नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों का समर्थन करना।
- छतों के ऊपर और बड़े पार्कों के बीच इंटरमीडिएट रेंज में सौर ऊर्जा उत्पादन की रीक्तियों को भरना।

स्टार्ट-अप रैंकिंग

PIB, (21 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री – सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने स्टार्ट-अप से जुड़ी पहलों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का दूसरे संस्करण का अनावरण किया।

रैंकिंग 2019 की रूपरेखा

- रैंकिंग रूपरेखा (फ्रेमवर्क) 2019 में 7 आधार और 30 कार्य-बिंदु शामिल हैं।
- इन आधारों के जरिए संस्थागत सहायता, नियम-कायदों को सरल करने, सार्वजनिक खरीद को आसान करने, इन्क्यूबेशन संबंधी सहयोग, प्रारंभिक पूंजी के वित्त पोषण संबंधी सहयोग, उद्यम वित्त पोषण संबंधी सहायता एवं जागरूकता और पहुंच संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों का आंकलन किया जाता है।
- रैंकिंग से जुड़ी इस कवायद का उद्देश्य 1 मई, 2018 से लेकर 30 जून, 2019 तक की आंकलन अवधि के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाले उपायों का आंकलन करना है।
- विभाग ने रैंकिंग रूपरेखा के 7 आधारों से जुड़े उल्लेखनीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है।
- रैंकिंग 2019 कवायद के एक हिस्से के रूप में डीपीआईआईटी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के अभिनव स्टार्टअप कार्यक्रमों और पहलों को मान्यता प्रदान करेगा।

उद्देश्य

- स्टार्ट-अप को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की सुदृढ़ व्यवस्था करने की दृष्टि से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है।
- इस रूपरेखा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एक-दूसरे की अच्छी प्रथाओं या तौर-तरीकों की पहचान करें, उनसे सीखें और उन्हें अपने यहाँ अमल में लाएं।

पृष्ठभूमि

- औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग जनवरी, 2016 से राज्यों में स्टार्ट-अप से सम्बंधित पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा करता आया है।
- इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य था राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को अपने यहाँ स्टार्ट-अप से सम्बंधित पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ कर कदम उठाने हेतु प्रोत्साहन देना। इसके लिए क्षमता विकास पर विशेष बल दिया गया।
- इसका एक अन्य उद्देश्य देश में सहयोगात्मक संघीयता की भावना को आगे बढ़ाना भी है।
- इसके लिए जिन तरीकों को अपनाया गया है, उनका लक्ष्य है राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना और उन्हें अच्छी-अच्छी प्रथाओं को सीखने, अपनाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

''सम्प्रीति'' - 2019

PIB, (26 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री – निर्मला सीतारामण

संदर्भ

- हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 02 मार्च से 15 मार्च 2019 तक बांग्लादेश के तंगेल में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास "सम्प्रीति" - 2019 संचालित किया जाएगा।
- यह आठवां अभ्यास होगा।
- इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के तहत उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक कार्रवाई का भी अभ्यास किया जाएगा।

उद्देश्य

- भारत और बंग्लादेश की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और सहयोग के पक्षों को मजबूत और व्यापक बनाना है।
- भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग के पहलुओं को मजबूत बनाना और उनका विस्तार करना है।
- इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी कार्रवाईयों से निपटने में

रणनीतिक स्तर की कार्रवाई होगी और यह संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अनुसार होगा।

क्या है?

- यह अभ्यास वर्ष 2016 में बंग्लादेश में ढाका के समीप तंगाइल में तथा वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल के बिन्नागुड़ी में आयोजित किया गया था।
- पहला अभ्यास वर्ष 2010 में असम के जोरहाट में हुआ था।
- यह सैन्य अभ्यास एक साल बांग्लादेश और दूसरे साल भारत में होता है। इसका मकसद दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना है।
- दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इसे हर साल किया जाता है।

श्रेयस पोर्टल लॉन्च

PIB, (27 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संबंधित मंत्री – प्रकाश जावडेकर

संदर्भ

- हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिये उन्हें काबिल बनाने के लिए 'श्रेयस' (स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल) पोर्टल लॉन्च किया है।
- इस पोर्टल की सहायता से स्नातक की डिग्री पाने वाले छात्रों को उद्योग जगत में प्रशिक्षण का कोर्स कराकर उन्हें कौशल युक्त बनाया जायेगा, ताकि वे रोजगार के योग्य हो सकें।

उद्देश्य

- उच्च शिक्षा प्रणाली की सीखने की प्रक्रिया में रोजगार प्रासंगिकता की शुरुआत करके छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार करना।
- स्थायी आधार पर शिक्षा और उद्योग / सेवा क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध बनाना।
- मौजूदा समय की मांग के अनुसार छात्रों को कौशल प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पढ़ाई के साथ-साथ कमाई की व्यवस्था को स्थापित करना।
- इंडस्ट्री को बेहतर कार्य शक्ति प्रदान करने के लिए कुशल कार्यकर्त्ताओं को तैयार करना।
- सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के साथ छात्र समुदाय को रोजगार से जोड़ना।

विशेषताएं

- इसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- उनकी प्रोफाइल के आधार पर आगे छह, नौ या एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में यह पोर्टल काम करेगा।
- वर्ष 2019 में लगभग तीन लाख छात्रों को इसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी।
- यूजीसी, एआईसीटीई राज्यों समेत शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखकर इसमें जुड़ने को कहा जायेगा। इंडस्ट्री को केंद्र सरकार की ओर से पैसे का भुगतान किया जाएगा।
- प्रोग्राम के माध्यम से इंडस्ट्री छात्रों को स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग आदि का पूरा प्रशिक्षण देगी, ताकि डिग्री पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें रोजगार मिल सके।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सामान्य पढ़ाई के साथ रोजगार से जोड़ने के लिए तैयार करना है।

योजना का संचालन

- प्राथमिक योजना का संचालन National Apprenticeship Promotion Scheme (एनएपीएस) के साथ किया जाएगा, जो प्रत्येक व्यवसाय/उद्योग में कुल कार्यबल के 10% तक प्रशिक्षुओं को रखने का प्रावधान करता है।
- यह योजना शुरू में बैंकिंग कौशल बीमा सेवा (बीएफएसआई), खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, प्रबंधन सेवाओं, आईटीईएस और सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

तितानवाला म्यूजियम

PIB, (26 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वस्त्र मंत्रालय
संबंधित मंत्री – स्मृति ईरानी

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बगरू में हैंडब्लॉक प्रिंटिंग के 'तितानवाला म्यूजियम' का उद्घाटन किया।
- तितानवाला म्यूजियम में बड़ी संख्या में पारम्परिक वुडन ब्लॉक, कपड़ों की रंगाई व छपाई के काम आने वाले बर्तन व सहायक उपकरण तथा छीपा समुदाय के इतिहास को दर्शाने वाले पुराने फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गये हैं।
- ब्लॉक प्रिंटिंग की विरासत सूरज नारायण तितानवाला जैसे संग्राहकों की पहल के कारण ही संरक्षित है, जो स्वयं छीपा समुदाय से हैं।

बगरू की ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है?

- बगरू नामक स्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग प्राकृतिक रंग के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसका श्रेय राजस्थान के छीपा समुदाय को जाता है।
- बगरू की हाथ से की जाने वाली इस ब्लॉक प्रिंटिंग का इतिहास 1,000 वर्षों से भी पुराना है।
- इस तकनीक में पहले कपड़े को मुल्तानी मिट्टी में धोया जाता है फिर इसे हल्दी मिले पानी में डुबोया जाता है ताकि यह पीली आभा हासिल कर सके।
- इसके बाद डाई किये गये इन कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स से छपाई की जाती है। यह सारा काम हाथ से किया जाता है।
- सागौन-लकड़ी से बनाये गये लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग डिजाइन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है।

छीपा समाज के बारे में

- छीपा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं।
- छीपा शब्द नेपाली भाषा के दो शब्दों "छी' अर्थात् डाई करना एवं "पा" अर्थात् धूप में सुखाना से मिलकर बना है।
- इस समुदाय के लोग राजस्थान में काफी लंबे समय से ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं।
- इनके ब्लॉक्स पर मिलने वाली बारीक कारीगरी के कारण यह छपाई काफी प्रसिद्ध है।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अध्यादेश

PIB, (28 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
- इसके जरिये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही प्राप्त हो सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्यम से संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) आदेश, 1954 में संशोधन के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
- इससे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 द्वारा संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 से संशोधित भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

प्रभाव

- अधिसूचित होने पर यह आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा जम्मू और कश्मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

- संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1955 को भारत के संविधान के अनुच्छेद-16 की धारा-4 के बाद धारा-4(ए) जोड़कर लागू किया गया।
- धारा-4(ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति लाभ देने का प्रावधान है।
- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है तथा जम्मू और कश्मीर तक अधिनियम के विस्तार से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

फेम इंडिया - II

PIB, (28 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
- कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। यह योजना मौजूदा 'फेम इंडिया वन' का विस्तारित संस्करण है। 'फेम इंडिया वन' योजना 01 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
- इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है।
- यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

क्या है?

- बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर देना।
- इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, ऐसा खर्च राज्य और शहरी परिवहन निगमों द्वारा दिया जाना।
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत 3 वॉट और 4 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि देना।
- दो वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केन्द्रित रखना।
- इस योजना के तहत 2 वॉट वाले 10 लाख, 3 वॉट वाले 5 लाख, 4 वॉट वाले 55,000 वाहन और 7000 बसों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने की योजना है।
- नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जिनमें अत्याधुनिक लिथियम आयोन या ऐसी ही अन्य नई तकनीक वाली बैट्रियां लगाई गई हों।
- योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों में तीन किलोमीटर के अंतराल में 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।
- बड़े शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है।
- ऐसे राजमार्गों पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है।

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005

PIB, (28 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् ने एक अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दी है। जिसके द्वारा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (Special Economic Zones Act, 2005) के अनुभाग 2 के उप-अनुभाग (v) में परिभाषित "व्यक्ति" की परिभाषा को संशोधित किया गया है और इसमें न्यास (trust) का भी समावेश किया गया है।
- ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई न्यास चाहे तो वह भी विशेष आर्थिक जोन में अपनी इकाई लगा सकता है।

विशेष आर्थिक जोन (SEZs) क्या हैं?

- विशेष आर्थिक जोन (SEZs) वे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ व्यवसाय और व्यापार से सम्बन्धित नियम और प्रथाएँ देश के अन्य भागों से अलग हैं।

- दूसरे शब्दों में, इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यवसायों को विशेष अधिकार होते हैं।
- SEZs स्थापित करने के पीछे मूल विचार यह है कि व्यवसाय के लिए संरचना और परिवेश का निर्माण करना रातों-रात संभव नहीं होता, अतः इसके लिए ऐसे विशेष क्षेत्र बनाए जाएँ जो कम अवधि में तैयार हो सकें और जहाँ व्यवसाय और व्यापार से सम्बंधित समस्याओं का हल अधिक कुशलता से किया जा सके।
- विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में विशेष आर्थिक जोन और इसके अन्दर संचालित इकाईयों की स्थापना के लिए कानूनी ढाँचे का प्रावधान किया गया है।

संबंधित प्रश्न (प्रारं.

1. भारत-अर्जेंटीना व्यापार मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत और अर्जेंटीना कृषि पर जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए मिल-जुलकर काम करेंगे।
   2. भारत फसल कटाई से पहले और बाद के नुकसान को कम करने में अर्जेंटीना की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है।
   3. भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने प्रयासों में अर्जेंटीना के साथ साझेदारी करना चाहता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

2. हाल ही में चर्चा में रही 'स्त्री सुरक्षा' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।
   2. स्त्री सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, SCIM पोर्टल (सेफ सिटी प्रोजेक्ट) तथा राज्यों में DNA विश्लेषण जैसी तीन बड़ी पहलों की शुरुआत की गई है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. हाल ही में चर्चा में रहे 'भारत और मोरक्को' के मध्य समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. दोनों देशों के मध्य बिज़नेस वीजा जारी करने की बात की गई है।
   2. ऐसे वीजा को सामान्य रूप से नियमित मामलों में 7 दिनों की निर्दिष्ट समय सीमा में 12 महीनों की अवधि के लिए जारी करने की जरूरत होती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति- 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस नीति ने 2011 की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का स्थान ले लिया है।
   2. इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक 400 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. कंपनी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने तथा संसद में इस अध्यादेश के स्थान पर प्रतिस्थापन विधेयक लाने की मंजूरी दे दी है।
   2. इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने वाली समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित कॉर्पोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के महत्त्वपूर्ण अंतरों को समाप्त किया जा सके।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. हाल ही में अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक नयी कंपनी की स्थापना से अंतरिक्ष के क्षेत्र में होने वाले लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसरो व इससे संबद्ध अंतरिक्ष विभाग की इकाईयों द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
2. निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV) का निर्माण तथा लांचरों एवं उपग्रहों के उत्पादन में अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
3. वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष ए.एस. किरण कुमार हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7. हाल ही में PM मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के विकास हेतु विकास एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। डीएनसीएस (DNCS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. डीएनसी देश के सबसे अधिक वंचित समुदाय हैं तथा ये कभी-कभी दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये विकास की मुख्यधारा में पीछे छूट जाते हैं।
2. 2014 में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य कार्य डीएनसीएस के लोगों की राज्यवार सूची को तैयार करने तथा उनके विकास हेतु उचित उपाय को सुझाना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. भारतीय चिकित्सा परिषद् अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसका उद्देश्य देश की चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।
2. इस अध्यादेश को लाने का मुख्य कारण पूर्व के अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किये गये कार्य को मान्यता नहीं देना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. 'विविध 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. 'विविध' का शुभारंभ वर्ष 2017 में एक वार्षिक आयोजन के रूप में हुआ था।
2. 'विविध' का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एन.आई.सी. के अधिकारियों का सशक्तिकरण करना है।
3. 'विविध 2019' की थीम 'विविध-विजन इनसाइट एंड वायसेज एज इंडिया गोज डिजिटल' है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

10. 'राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना है।
2. एनआरईटीपी द्वारा आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी तथा डिजिटल वित्त एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को प्रोत्साहन मिलेगा।
3. एनआरईटीपी निर्धनों में सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को लक्षित करने एवं उनके वित्तीय समावेशन पर बल देता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

11. 'रूफटॉप सोलर कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस कार्यक्रम से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में बचत की दृष्टि से व्यापक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा।
2. 2022 तक रूफटॉप सोलर कार्यक्रम से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े कार्यक्रम को दूसरे चरण की स्वीकृति दे दी गयी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

12. 'कुसुम योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस योजना के अनुसार बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा स्थापित कर किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस योजना को चार घटकों में बाँटा गया है।
3. यह कृषि क्षेत्र को डीजल-रहित बनाने में सहायता करेगी जिससे 10 लाख डीजल-चालित पम्पों को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) 1 और 3

13. 'स्टार्ट-अप रैंकिंग (2019)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसमें 7 आधार और 30 कार्य-बिंदु शामिल हैं।
2. औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा जनवरी, 2016 से राज्यों में स्टार्ट-अप से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की

समीक्षा की जाती है।

3. इसका उद्देश्य देश में सहयोगात्मक संघीय भावना को आगे बढ़ाकर राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) सभी असत्य हैं।

14. 'सम्प्रीति- 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच नौवां सैन्य अभ्यास है, जो बांग्लादेश के तंगेल में हुआ।
2. इसका उद्देश्य उग्रवाद एवं आंतकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक कार्रवाई करना है।
3. पहला अभ्यास 2010 में असम के जोरहाट में हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) 2 और 3

15. 'श्रेयस पोर्टल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्री सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया।
2. इस पोर्टल की सहायता से स्नातक की डिग्री पाने वाले छात्रों को उद्योग जगत में प्रशिक्षण का कोर्स कराकर उन्हें कौशल युक्त बनाना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

16. हाल ही में चर्चा में रही 'बगरू की ब्लॉक प्रिंटिंग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. बगरू नामक स्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग प्राकृतिक रंग के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसका श्रेय राजस्थान के छीपा समुदाय को जाता है।
2. हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा बगरू में हैंडब्लॉक प्रिंटिंग के तितानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

17. 'जम्मू-कश्मीर आरक्षण अध्यादेश' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसके जरिये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही प्राप्त हो सकेगा।
2. संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 देश में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है और J&k तक अधिनियम के विस्तार से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

18. 'फेम इंडिया-II' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
2. यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।
3. यह योजना मौजूदा 'फेम इंडिया वन' का विस्तारित संस्करण है। फेम इंडिया वन योजना 1 अप्रैल, 2018 को लागू की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) सभी असत्य हैं।

19. 'विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विशेष आर्थिक जोन (SEZs) वे भौगोलिक क्षेत्र हैं, जहाँ व्यवसाय और व्यापार से संबंधित नियम और प्रथाएँ देश के अन्य भागों से अलग होती हैं।
2. हाल ही में अध्यादेश द्वारा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अनुभाग-2 के उप-अनुभाग (IV) में परिभाषित 'व्यक्ति' की परिभाषा को संशोधित किया गया है और इसमें न्यास का भी समावेश किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

ANSWER KEY

1-15 फरवरी को दिए गए संभावित प्रश्न (प्रीलिम्स का उत्तर)...

1.	(c)	2.	(d)	3.	(c)	4.	(b)	5.	(c)	6.	(a)	7.	(c)	8.	(b)	9.	(d)	10.	(c)
11.	(d)	12.	(a)	13.	(d)	14.	(b)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(c)	18.	(a)	19.	(c)	20.	(b)
21.	(c)	22.	(d)	23.	(c)	24.	(c)	25.	(b)										